फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर ग्रामीण)

सुन्दर पुत्री केसाराम वगैराह बनाम जमना पत्नी गुमनाराम वगैराह

किस्म मुकदमा – 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 (मुकदमा नम्बर 17/2024) (सन् 2024)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
25.01.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लुम्बाराम चौधरी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थिनी की पुश्तैनी भूमि है। अप्रार्थीगण भूमि का बेचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 26.02.2024 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम केतुमनावता पटवार हल्का केतुमदा तहसील सेखाला जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 32, 32/1, 32/2 की भूमि पर अप्रार्थीगण विशिष्ठ भू–भाग दर्शाकर बेचान, हस्तान्तरण, निर्माण कार्य एवं कब्जा नही करें। उक्त खसरे में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरूद्व नही करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 26.02.2024 को पेश हों। Signature Not Verified Digitally signed by Bhawani Singh Date: 2025.12.24 16:38:05 IST Reason: SelfAttested	
26/2/24	1/4/24	

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
3/3/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली मे बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्व करना है। विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त स्थिति के तहत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओ के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा केतुमनावता पटवार हल्का केतुमदा तहसील सेखाला जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 32, 32/1, 32/2 की भूमि के राजस्व रेकर्ड पर अस्थाई निषेद्याज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, बालेसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:38:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner